विजय कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी–परिपत्र संख्या–01 /2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, टावर–2,
दिनांकः लखनऊः जनवरी 3 ,2024

विषय– आपराधिक मामलों में विवेचना के दौरान विवेचकों द्वारा की जाने वाली सामान्य त्रुटियों एवं उनके निवारण हेतु उपाय।

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि विभिन्न आपराधिक मामलों में विचारण मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के अध्ययन एवं उनकी समीक्षा किये जाने से यह तथ्य सामने आया है कि विवेचकों द्वारा विवेचना के कम में कतिपय महत्वपूर्ण विन्दुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप मा0 न्यायालय में साक्षियों का साक्ष्य कराये जाने एवं अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किये जाने में समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण विचारण की परिणति दोषमुक्ति के रूप में होती है।

2. आप सहमत होगे कि आपराधिक मामलों में विवेचना के दौरान विवेचकों द्वारा की जाने वाले त्रुटियॉ जिनके फलस्वरूप अभियोगों का सफल विचारण नहीं होता है, उनके निवारण हेतु कतिपय उपाय सुझाये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

क्र0	विवेचनात्मक त्रुटियाँ जिनके आधार पर मुकदमों में दोषमुक्ति होती है।	त्रुटियों के निवारण के उपाय
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में हुए विलम्ब को स्पष्ट न किया जाना	1–विवेचक को वादी का बयान दर्ज करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहिये और उसका कारण सहित उत्तर वादी के धारा 161 सी. आर.पी.सी. के बयान में शामिल करना चाहिये। 2–समस्त थाना प्रभारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराये जाने में थाना स्तर से कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये।
2	घटनास्थल का अविलम्ब एवं उचित निरीक्षण न किया जाना और घटनास्थल से समुचित साक्ष्यों को संग्रहित न किया जाना।	1–प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होते ही थाने के भारसाधक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चहिये कि घटनास्थल को अविलम्ब संरक्षित किया जाये। 2–विवेचना ग्रहण करते ही विवेचक को तत्काल फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल पर पहुँचकर गहनता से घटनास्थल का निरीक्षण करना चाहिये तथा स्पष्ट रूप से अपने हस्तलेख में घटनास्थल का मानचित्र तैयार करना चाहिये। 3–घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल की सर्वप्रथम फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करायी जाये। 4–मानचित्र में घटनास्थल की समस्त स्थितियों यथा वस्तुओं की स्थिति, संदिग्ध आरोपियों के आने व जाने का मार्ग, प्रकाश स्रोत की स्थिति, पेड़–पौधों की स्थिति आदि को स्पष्ट रूप से अंकित करना चाहिये। 5–घटनास्थल पर मौजूद समस्त छोटे से छोटे साक्ष्यों यथा कोई भी ऐसी वस्तु जो संदेह उत्पन्न करती हो जैसे सिगरेट के टुकड़े, पैरों के निशान, टूटी हुई काँच को भी संकलित करना चाहिये।

		6–घटनास्थल पर मौजूद सभी वस्तुओं पर से फील्ड यूनिट द्वारा सम्भावित अंगुलिचिन्ह ट्रेस किये जाने चाहिये। 7–यदि घटनास्थल कम्प्यूटर अपराध से सम्बन्धित है तब विवेचक को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह वहाँ पर साइबर ऐक्सपर्ट फील्ड यूनिट को साथ लेकर जायें और वहाँ रखे किसी भी कम्प्यूटर प्रिंटर या उससे संलग्न किसी भी ड्राइव या अन्य किसी वस्तु को बिना विशेषज्ञ की सलाह के छुएँ नहीं और न ही किसी भी सिस्टम को ऑन या ऑफ करें या संचालित करें। ऐसा किये जाने से उपलब्ध साक्ष्य नष्ट हो जाने की स्थिति बनती है। 8–आग से जलने या पानी में डूबने से हुई मृत्यु के घटनास्थल पर विवेचक को प्रत्येक छोटी से छोटी स्थितियों पर भी पूरी तरह से निगाह रखनी चाहिये। विशेष तौर पर मृतक के पंजे या मुट्ठी में फसी हुई वस्तुओं को देखा जाना चाहिये और उन्हें संग्रहित करना चाहिये। 9–यदि विवेचक हत्या, हत्या का प्रयास या अन्य प्रकार से मारपीट करने के घटनास्थल पर जाता है, तो उसे घटनास्थल के आसपास अत्यंत गहनता के साथ साक्ष्य एकत्रित करने चाहिये जिससे घटना में प्रयुक्त हथियार/बुलेट/खोखा कारतूस या चोट पहुँचाने में प्रयुक्त कोई भी वस्तु, ऐसा कोई कपड़ा या कागज जिससे किसी भी साक्ष्य को विलोपित करने का प्रयास किया गया हो, प्राप्त किया जा सके।
3	घटनास्थल से संग्रहित प्रदर्शों एवं साक्ष्यों की समुचित सैम्पलिंग न किया जाना	1–घटनास्थल से प्राप्त सभी वस्तुओं की पैकिंग व सैम्पलिंग फील्डयूनिट विशेषज्ञ की देखरेख में की जानी चाहिये। 2–हत्या, मारपीट, सड़क दुर्घटना या अन्य हिंसात्मक अपराध की दशा में घटनास्थल से खूनालूदा एवं सादी मिट्टी कब्जे में अवश्य ली जानी चाहिये और उसे समुचित रूप से सर्वमुहर किया जाना चाहिये। साथ ही साथ मृतक/चोटहिल के खूनालूद कपड़े भी संग्रहित कर सर्वमुहर किये जाने चाहिये। 3–चोट के मामलों में चोट पहुँचाने में प्रयुक्त हथियार को प्राप्त करने का प्रयास विवेचक द्वारा अवश्य करना चाहिये और ऐसा हथियार बरामद होने पर उसे सर्वमुहर कर तत्काल ही बैलिस्टिक जाँच हेतु एफ.एस.एल. भेजा जाना चाहिये। 4–घटनास्थल से संग्रहित सभी प्रदर्शों को तत्काल डाकेट तैयार कराकर फोरेंसिक जाँच हेतु एफ.एस.एल. भेजा जाना चाहिये जिससे अनावश्यक रूप से रखे जाने के कारण प्रदर्श खराब न हो सकें। 5–विवेचक द्वारा डाकेट की एक प्रति केस डायरी में भी संलग्न करनी चाहिये जिससे यह ज्ञात हो सके कि कौन–कौन से प्रदर्श एफ.एस.एल. जाँच हेतु भेजे गये हैं। 6–इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संग्रहित किये जाते समय 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्राप्त कर केसडायरी में संलग्न किया जाये।
3	वादी व अन्य साक्षियों का बयान दर्ज करने में विलम्ब करना तथा अपूर्ण बयान दर्ज करना	1–विवेचक को विवेचना प्राप्त होते ही तत्काल वादी, पीड़ित एवं अन्य साक्षियों का बयान दर्ज करना चाहिये। 2–विवेचक को वादी, पीड़ित तथा तथ्य के अन्य साक्षियों का बयान दर्ज करते समय प्रश्नोत्तर के रूप में बयान दर्ज करना चाहिये जिसमें उस साक्षी के द्वारा बताये जाने वाले सभी तथ्यों को व्यापक रूप से समाहित किया जा सके। बयान इस प्रकार नहीं दर्ज किया जाना चाहिये कि वह प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रतिरूप प्रतीत हो।

		3–यदि कोई साक्षी घटनास्थल पर किसी कार्यवश पहुँचा था या अन्य कारणवश उपस्थित था तब उसका बयान दर्ज करते समय विवेचक को उससे यह जरूर पूछना चाहिये कि वह वहाँ किस कारण से उपस्थित था। 4–किसी अशिक्षित व्यक्ति, ग्रामीण महिला, ग्रामीण परिवेश से आने वाले व्यक्ति का बयान दर्ज करते समय विवेचक को यंत्रवत तरीके से उसका बयान नहीं दर्ज करना चाहिये बल्कि स्थानीय भाषा में ऐसे साक्षी के समझ में आने वाले प्रश्नों के उत्तर के रूप में दर्ज किया जाना चाहिये क्योंकि ऐसे साक्षी अपनी प्रकृति के कारण तकनीकी रूप से घटना को समझ पाने में सक्षम नहीं होते हैं। 5–विवेचक को विश्वसनीय साक्षियों के ही बयान दर्ज करने चाहिये। अनावश्यक रूप से साक्षियों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिये। 6–विवेचक द्वारा आवश्यकतानुसार वादी व अन्य महत्वपूर्ण साक्षियों का धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत बयान दर्ज कराना चाहिये। महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों में ऐसे साक्षियों का धारा 164 द.प्र.सं. के अन्तर्गत बयान अवश्य ही दर्ज कराया जाये।
4	चिकित्सीय परीक्षण सही समय पर न कराया जाना और चोटों के सम्बन्ध में सम्बन्धित चिकित्सक से पूछताछ न किया जाना	1–विवेचक को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि चोटहिल के चोटों का तत्काल चिकित्सीय परीक्षण कराया जाये और उसे जब भी चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा जाये, मजरूबी चिट्ठी अवश्य साथ में भेजी जाये। साथ ही साथ थाने के रोजनामचा आम में चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजे जाने तथा चिकित्सीय परीक्षण के पश्चात् आमद का तस्करा अवश्य ही अंकित किया जाये। 2–यदि किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका भी चिकित्सीय परीक्षण अविलम्ब कराया जाये और उसके शरीर पर यदि कोई चोट है तो उसे स्पष्ट किया जाये। 3–घटना से सम्बन्धित सभी चोटहिल व्यक्तियों का बयान अवश्य ही अंकित किया जाना चाहिये। 4–विवेचक को चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक से चोटों की प्रकृति तथा उन्हें कारित किये जाने के तरीके व हथियार तथा चोटों को कारित किये जाने के समयांतराल के सम्बन्ध में अवश्य ही पूछताछ करनी चाहिये और यह स्थापित करने की जानकारी करनी चाहिये कि चोटें उसी प्रकार कारित की गयी हैं जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं साक्षियों के बयान में अंकित हैं।
5	मृत्यु की दशा में शव का त्रुटिपूर्ण पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराया जाना	1–हत्या, दहेज हत्या या अन्य प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में विवेचक द्वारा शव का पंचनामा कराते समय समुचित फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराया जाना चाहिये। 2–विवेचक एवं पंचांन को पंचनामा भरते समय शव की स्थिति, शरीर पर चोटों की स्थिति अथवा अन्य किसी प्रकार के अस्वाभाविक लक्षण पर ध्यान देना चाहिये और उन्हें पंचनामे में अंकित किया जाना चाहिये। 3–शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजे जाते समय मृत्यु के कारण की जाँच के सम्बन्ध में यथास्थिति डॉएटम टेस्ट, सूट टेस्ट, कार्डियक अरेस्ट के सम्बन्ध में हृदय संरक्षण किये जाने, प्वाइजनिंग के दृष्टिकोण से विसरा प्रिजर्व किये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सक के लिये स्पष्ट निर्देश भी दिया जाना चाहिये।

		4–पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं समस्त जाँच के पश्चात भी यदि मृत्यु का कारण पता नहीं चलता है तो विवेचक को राज्य विधिज्ञ परिषद से अभिमत प्राप्त करना चाहिये।
6	विवेचना के दौरान समुचित साक्ष्यों का संकलन न किया जाना	1–विवेचक द्वारा विवेचना के क्रम में ऐसे सभी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य संग्रहित करने चाहिये जिससे मामले को संदेह से परे साबित किया जा सकता हो। 2–यदि विवेचना के दौरान दस्तावेजी साक्ष्यों को संकलित किया जाना है तो उन्हें मूल रूप में ही संग्रहित किया जाना चाहिये। यदि मूल रूप में संग्रहित किये जाने योग्य न हों तो उनकी विहित प्राधिकारी से प्रमाणित प्रतियॉं विवेचना में शामिल की जानी चाहिये। 3–सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक/डिजिटल साक्ष्य जो वादी या साक्षी के जरिये प्राप्त होते हैं, को धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाणपत्र के साथ प्राप्त करना चाहिये और आवश्यकतानुसार उसे मूल स्रोत के साथ मिलान करने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भी भेजा जाना चाहिये। 4–विवादित दस्तावेज/हस्ताक्षर से सम्बन्धित मामला होने की स्थिति में ऐसे दस्तावेज के हस्तलेख व हस्ताक्षर की मिलान हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला अवश्य ही भेजा जाना चाहिये। 5–आवश्यकतानुसार विवेचक को सत्यता की जानकारी हेतु वैज्ञानिक पद्यतियों यथा लाइ डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस टेस्ट, डी.एन.ए. मैपिंग, साइको एनालिसिस आदि का भी प्रयोग करना चाहिये। 6–लैंगिक अपराधों की स्थिति में पीड़ित के साथ साथ आरोपी के भी शरीर से जैविक साक्ष्य यथा रक्त, वीर्य, स्वाब, थूक, बाल, नाखून के अन्दर की खुरचन आदि एवं पहने हुए वस्त्रों/अंतर्वस्त्रों को अविलम्ब प्राप्त किया जाना चाहिये और जाँच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना चाहिये। 7–पीड़ित/आरोपी के अवयस्क होने की स्थिति में उनकी उम्र का निर्धारण करने हेतु किशोर न्याय अधिनियम में उपबन्धित नियम के अनुसार ही किया जायेगा। यदि उम्र निर्धारित करने हेतु दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो उम्र का निर्धारण चिकित्सीय परीक्षण से कराया जाये। 8–यदि कोई माल मुकदमाती बरामद होता है अथवा संदिग्ध अरोपी की गिरफ्तारी होती है तो उनकी शिनाख्त कार्यवाही अवश्य करानी चाहिये तथा एस.सी.आर.बी./एन.सी.आर.बी. से अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्राप्त किया जाये और उसे केस डायरी व आरोप पत्र में अंकित किया जाये। 9–सभी साक्षियों के मूल पता, हाल पता तथा मो.नं. ज्ञात कर उसे उनके बयान के साथ अंकित किया जाये और आरोप पत्र में भी गवाहों की सूची में अंकित किया जाये जिससे विचारण के दौरान साक्षियों को साक्ष्य हेतु तलब किये जाने में सुविधा हो सके। 10–मात्र अभियुक्त के कथन के आधार पर सहअभियुक्त न बनाया जाये। अभियुक्त के कथन को सम्पुष्ट करने वाले अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जाना आवश्यक है। 11–किसी महिला साक्षी अथवा पीड़िता का बयान महिला अधिकारी द्वारा ही लिया जाना चाहिये। धारा 157बी अपने आपमें यह उपबंध करती है कि पीड़िता का बयान उसके निवास पर या उसके पसंद के स्थान पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा माता–पिता, अभिभावक या निकटस्थ की उपस्थिति में दर्ज किया जाना चाहिये।

		12–लैंगिक अपराधों में 24 घंटे के अंदर ही पीड़िता का धारा 164 द.प्र.सं. का बयान दर्ज कराया जाना चाहिये और चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना चाहिये। ऐसा चिकित्सीय परीक्षण किसी महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिये।
7	परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी अक्षुण न रख पाना	1–विवेचक को प्रत्यक्ष साक्षियों के अतिरिक्त परिस्थितिजन्य साक्षियों पर भी विचार करना चाहिये। हत्या और अपहरण के अपराधों के सम्बन्ध में लास्टसीन थ्योरी व हत्या/अपहरण किये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिये। यह भी देखा जाना चाहिये कि लास्टसीन व मृतक का शव/अपहृत के बरामदगी के मध्य क्या समयांतराल रहा है। 2–संदिग्ध आरोपी के घटना के पश्चात के उसके व्यवहार व कृत्य को गहनता से अवलोकित करना चाहिये। 3–संदिग्ध अरोपियों के सी.डी.आर. प्राप्त कर उनका गहन विश्लेषण करना चाहिये और घटना के पूर्व और पश्चात जिन व्यक्तियों (थर्ड पार्टी) से वार्ता हुई हो, उनसे भी पूछताछ कर घटना के अनावरण का प्रयास करना चाहिये।
8	प्राधिकृत स्तर के विवेचक द्वारा विवेचना न किया जाना	सामान्यतः विवेचना निरीक्षक/उपनिरीक्षक द्वारा की जाती है परन्तु यदि किसी विधि में किसी विशेष स्तर के विवेचक की व्यवस्था दी गयी है तो उस विधि के अन्तर्गत विवेचना के लिये प्राधिकृत स्तर के विवेचक के द्वारा ही की जानी चाहिये।
9	एन.डी.पी.एस. ऐक्ट के मामलों में धारा 42(1) व धारा 50 का अनुपालन न किया जाना	1–जहाँ प्राप्त सूचना के आधार पर किसी व्यक्ति के निवास पर दबिश दी जाती है अथवा किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर उसकी तलाशी ली जाती है, वहाँ धारा 50 एन.डी.पी.एस. ऐक्ट के प्रावधानों के अनुसार किसी राजपत्रित पुलिस अधिकारी का वहाँ होना आवश्यक है। प्रायः विवेचकों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाता है। 2–धारा 42(2) के अनुसार एन.डी.पी.एस. ऐक्ट के सम्बन्ध में यदि कोई सूचना थाने पर प्राप्त होती है तो उसे रोजनामचा आम में अंकित किया जाना चाहिये और इसे तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ साझा करके लिखित या मौखिक रूप से दबिश की अनुमति प्राप्त कर रोजनामचा आम में अंकित किया जाना चाहिये और इसकी लिखित प्रति 72 घंटे के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी जानी चाहिये, परंतु सामान्य अनुक्रम में थाना प्रभारी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है जिसका लाभ विचारण के दौरान अभियुक्त को प्राप्त होता है। 3–जब भी कभी तलाशी/गिरफ्तारी फर्द बनायी जाये, स्वतंत्र गवाहों को अथवा परिसर में रहने वाले व्यक्तियों को गवाह के रूप में शामिल किया जाये और फर्द पर उनके हस्ताक्षर कराये जायें। यदि कोई स्वतंत्र साक्षी प्राप्त नहीं होता है तो स्वतंत्र साक्षी प्राप्त न होने के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण विवेचक द्वारा अंकित किया जाना चाहिये। 4–बरामद की गयी एन.डी.पी.एस. सामग्री तथा निकाले गये सैम्पल को घटनास्थल पर ही सर्वमुहर किया जाना चाहिये। सर्वमुहर पैकेट पर अभियुक्त व गवाहों के हस्ताक्षर भी कराये जाने चाहियें। 5–यथासंभव ऐसी तलाशी व गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी करायी जानी चाहिये।
10	पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानित विशेष उपबंधों का पालन न किया जाना	1–पीड़ित को एक चाइल्ड फ्रैंडली माहौल देते हुए उससे पूछताछ किया जाना चाहिये। पीड़ित बच्चे का बयान लेते समय उसके माँ बाप या उसकी पसंद के व्यक्ति को उसके साथ रखा जाना चाहिये।

		2–बयान लेते समय विवेचक को पुलिस यूनिफार्म में नहीं होना चाहिये। 3–पीड़ित बच्चे को अभियुक्त के सम्पर्क में नहीं रखना चाहिये। 4–पीड़ित बच्चे को किसी भी स्थिति में थाने पर नहीं बुलाया जाना चाहिये और न ही मीडिया के संपर्क में करना चाहिये। 5–पीड़ित बच्चे का बयान उसके समझे जाने वाली भाषा में प्रश्नोत्तर के रूप में अंकित किया जाना चाहिये और आवश्यकतानुसार अनुवादक या दुभाषिये की मदद भी ली जा सकती है। 6–विवेचक को यथासम्भव 3 माह के अंदर विवेचना पूर्ण कर लेनी चाहिये।

3. आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आपराधिक मामलों की विवेचना के दौरान विवेचकों द्वारा की जाने वाली सामान्य त्रुटियों एवं उनके निवारण हेतु उपरोक्तांकित उपायों के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों/विवेचनाधिकारियों को अवगत कराते हुए इनका अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(विजय कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक(कानून–व्यवस्था), उ0प्र0 लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक(ई0ओ0डब्लू0), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक(रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक(अभियोजन), उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।